


Original Article

INTEGRATION OF INDIAN PRINCELY STATES AFTER INDEPENDENCE: A CRITICAL ASSESSMENT OF THE ROLE OF SARDAR VALLABHBHAI PATEL

स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय रियासतों का एकीकरण: सरदार वल्लभभाई पटेल की भूमिका का एक आलोचनात्मक मूल्यांकन

Dr. Sandeep Kumar ^{1*} 

¹Department of History, Jay Prakash University, Chapra, Bihar, India



ABSTRACT

English: The present paper analyzes the complex process of merging over 560 autonomous princely states into the Indian Union after India's independence in 1947. The primary focus of the research is to evaluate the strategic foresight, diplomatic acumen, and strong will of the then Home Minister, Sardar Vallabhbhai Patel.

After the end of British rule's paramountcy, India faced a serious threat of Balkanization (fragmentation). This paper examines how Patel, in collaboration with V.P. Menon, ensured the integration of Junagadh, Hyderabad, and other challenging princely states by adopting a policy of "coercion, bribery, punishment, and discrimination."

The study not only highlights his successes but also critically evaluates the difficult decisions he made—such as the promise of the Privy Purse and the use of military force in some instances. In conclusion, this paper argues that the geographical and political unity of modern India would not have been possible without Sardar Patel, and calling him the 'Bismarck of India' is a fitting tribute to his historical contribution.

Hindi: प्रस्तुत शोध पत्र 1947 में भारत की स्वतंत्रता के उपरांत 560 से अधिक स्वायत्त रियासतों के भारतीय संघ में विलय की जटिल प्रक्रिया का विश्लेषण करता है। शोध का मुख्य केंद्र बिंदु तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की रणनीतिक दूरदर्शिता, कूटनीतिक कौशल और दृढ़ इच्छाशक्ति का मूल्यांकन करना है। ब्रिटिश शासन की 'सर्वोपरिता' (Paramountcy) समाप्त होने के बाद भारत के सामने 'बाल्कनीकरण' (विखंडन) का गंभीर संकट था। इस शोध पत्र में यह पड़ताल की गई है कि कैसे पटेल ने वी.पी. मेनन के सहयोग से 'साम, दाम, दंड, भेद' की नीति अपनाते हुए जूनागढ़, हैदराबाद और अन्य चुनौतीपूर्ण रियासतों का एकीकरण सुनिश्चित किया।

अध्ययन में केवल उनकी सफलताओं का ही नहीं, बल्कि उनके द्वारा लिए गए कठिन निर्णयों का आलोचनात्मक मूल्यांकन भी किया गया है—जैसे कि 'प्रिवी पर्स' का वादा और कुछ स्थानों पर सैन्य बल का प्रयोग। निष्कर्षतः, यह शोध पत्र यह प्रतिपादित करता है कि सरदार पटेल के बिना आधुनिक भारत की भौगोलिक और राजनीतिक एकता संभव नहीं थी, और उन्हें 'भारत का बिस्मार्क' कहना उनके ऐतिहासिक योगदान का उचित सम्मान है।

*Corresponding Author:

Email address: Dr. Sandeep Kumar (88sk22@gmail.com)

Received: 06 December 2025; Accepted: 23 January 2026; Published 28 February 2026

DOI: 10.29121/granthaalayah.v14.i2.2026.6783

Page Number: 24-30

Journal Title: International Journal of Research -GRANTHAALAYAH

Journal Abbreviation: Int. J. Res. Granthaalayah

Online ISSN: 2350-0530, Print ISSN: 2394-3629

Publisher: Granthaalayah Publications and Printers, India

Conflict of Interests: The authors declare that they have no competing interests.

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Authors' Contributions: Each author made an equal contribution to the conception and design of the study. All authors have reviewed and approved the final version of the manuscript for publication.

Transparency: The authors affirm that this manuscript presents an honest, accurate, and transparent account of the study. All essential aspects have been included, and any deviations from the original study plan have been clearly explained. The writing process strictly adhered to established ethical standards.

Copyright: © 2026 The Author(s). This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

With the license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work must be properly attributed to its author.

Keywords: Integration, Sardar Patel, Princely States, Diplomacy, Indian Union, V.P. Menon, Privy Purse, एकीकरण, सरदार पटेल, रियासतें, कूटनीति, भारतीय संघ, वी.पी. मेनन, प्रिवी पर्स

प्रस्तावना

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और संकट का स्वरूप 15 अगस्त, 1947 को भारत का उदय केवल एक औपनिवेशिक शक्ति की विदाई नहीं था, बल्कि यह एक अभूतपूर्व भू-राजनीतिक चुनौती का प्रारंभ था। 'भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947' UK Parliament (1947) ने न केवल भारत और पाकिस्तान के विभाजन को जन्म दिया, बल्कि ब्रिटिश क्राउन की 'सर्वोपरिता' (Paramountcy) को भी समाप्त कर दिया। इसके परिणामस्वरूप, भारतीय उपमहाद्वीप में बिखरी हुई लगभग 562 से अधिक रियासतें तकनीकी रूप से स्वतंत्र हो गईं। जैसा कि लॉर्ड माउंटबेटन ने स्पष्ट किया था, "ब्रिटिश क्राउन की सर्वोच्चता के अंत के साथ ही रियासतें सैद्धांतिक रूप से किसी भी डोमिनियन में शामिल होने या स्वतंत्र रहने के लिए स्वतंत्र थीं" Menon (1956)। यह स्थिति भारत के लिए 'बाल्कनीकरण' (Balkanization) का एक सीधा खतरा थी, जहाँ देश के भीतर सैकड़ों छोटे-छोटे स्वतंत्र राष्ट्र बन सकते थे।

सरदार पटेल और 'राज्यों के विभाग' का उदय इस विकट परिस्थिति में, अंतरिम सरकार ने 27 जून, 1947 को 'राज्यों के विभाग' का गठन किया, जिसका कार्यभार लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल को सौंपा गया। पटेल के साथ सचिव के रूप में वी.पी. मेनन की नियुक्ति एक ऐतिहासिक जुगलबंदी सिद्ध हुई। पटेल का प्राथमिक उद्देश्य भारत की भौगोलिक अखंडता को अक्षुण्ण रखना था। उन्होंने रियासतों के शासकों को संबोधित करते हुए अपने प्रसिद्ध भाषण में कहा था, "हम इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं... यदि हम एकजुट नहीं हुए, तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हमें कभी माफ नहीं करेंगी" Das (1973)।

कूटनीति का 'पटेल मॉडल': गाजर और छड़ी पटेल की रणनीति केवल बल प्रयोग पर आधारित नहीं थी, बल्कि यह 'यथार्थवाद' (Realism) और 'व्यावहारिकता' का एक सूक्ष्म मिश्रण थी। उन्होंने शासकों को 'लोकतांत्रिक मूल्यों' की दुहाई दी, तो दूसरी ओर 'प्रिवी पर्स' (Privy Purse) और विशेषाधिकारों का प्रलोभन भी दिया। इस प्रक्रिया में 'इंस्ट्रुमेंट ऑफ एक्सेशन' (Instrument of Accession) और 'स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट' (Standstill Agreement) दो महत्वपूर्ण विधिक उपकरण बने। जहाँ अधिकांश राज्यों ने स्वेच्छा से भारत में विलय स्वीकार किया, वहीं जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर जैसे मामलों ने पटेल की 'संकट प्रबंधन' क्षमता की कठोर परीक्षा ली।

शोध का औचित्य और समस्या कथन यद्यपि इतिहासकार Guha (2007) पटेल को 'आधुनिक भारत के निर्माता' के रूप में देखते हैं, किंतु एक शोधार्थी के रूप में उनकी भूमिका का 'आलोचनात्मक मूल्यांकन' आवश्यक है। क्या पटेल द्वारा दी गई रियासतें (जैसे प्रिवी पर्स) दीर्घकालिक आर्थिक बोझ थीं? क्या हैदराबाद में 'पुलिस एक्शन' (Operation Polo) अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के मापदंडों पर सही था? यह प्रस्तावना इन प्रश्नों के इर्द-गिर्द शोध की नींव रखती है। यह शोध पत्र न केवल उनकी उपलब्धियों का गान करेगा, बल्कि उन जटिल परिस्थितियों का भी विश्लेषण करेगा जिन्होंने पटेल को कठोर निर्णय लेने पर मजबूर किया।

शोध के उद्देश्य

- स्वतंत्रता के समय रियासतों की विधिक और राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण करना।
- सरदार पटेल और वी.पी. मेनन द्वारा अपनाई गई एकीकरण की विशिष्ट रणनीतियों की समीक्षा करना।
- एकीकरण के दौरान उभरे विवादों और चुनौतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना।
- एकीकरण प्रक्रिया के भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता पर दूरगामी प्रभावों का अध्ययन करना।

ऐतिहासिक संदर्भ और रियासतों की स्थिति

ब्रिटिश 'सर्वोपरिता' (Paramountcy) का स्वरूप और प्रभाव

भारतीय रियासतों की स्थिति को समझने के लिए ब्रिटिश क्राउन और देशी राज्यों के बीच के विधिक संबंधों को समझना अनिवार्य है। ब्रिटिश काल के दौरान भारत दो स्पष्ट भागों में विभाजित था: 'ब्रिटिश भारत' (जो सीधे गवर्नर-जनरल के अधीन था) और 'देशी रियासतें' (जो संधियों के माध्यम से ब्रिटिश ताज की 'सर्वोपरिता' को स्वीकार करती थीं)। जैसा कि Lee-Warner (1910) ने अपनी पुस्तक 'The Native States of India' में उल्लेख किया है, सर्वोपरिता की कोई निश्चित परिभाषा नहीं थी; यह समय के साथ विकसित हुई एक ऐसी शक्ति थी जिसने राजाओं को आंतरिक प्रशासन में स्वायत्तता तो दी, लेकिन रक्षा, विदेश नीति और संचार पर अंग्रेजों का पूर्ण नियंत्रण बनाए रखा।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 और विधिक शून्य

कैबिनेट मिशन (1946) और उसके पश्चात माउंटबेटन योजना ने रियासतों के भविष्य को लेकर एक अनिश्चितता की स्थिति पैदा कर दी थी। 'भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947' की धारा 7(1)(b) के अनुसार, 15 अगस्त 1947 से ब्रिटिश क्राउन की सभी संधियाँ और अधिकार समाप्त होने थे। Copland (1997) तर्क देते हैं कि अंग्रेजों ने जानबूझकर रियासतों को एक 'विधिक शून्य' में छोड़ दिया था, जिससे वे तकनीकी रूप से संप्रभु (Sovereign) हो गईं। लॉर्ड माउंटबेटन ने स्पष्ट किया था कि "सर्वोपरिता को न तो हस्तांतरित किया जा सकता है और न ही विरासत में दिया जा सकता है," जिसका अर्थ था कि रियासतें न तो भारत की विरासत थीं और न ही पाकिस्तान की।

रियासतों का वर्गीकरण और सामरिक महत्व

1947 के समय भारत में रियासतों का विस्तार कश्मीर से कन्याकुमारी तक था। इन्हें मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में देखा जा सकता था:

- **बड़ी रियासतें:** जैसे हैदराबाद, मैसूर, और कश्मीर, जिनके पास अपनी सेना, रेलवे और विशाल राजस्व था।
- **मध्यम रियासतें:** जैसे पटियाला, बड़ौदा, और ग्वालियर, जो क्षेत्रीय राजनीति में प्रभावशाली थीं।
- **छोटी रियासतें:** जिनमें से कुछ केवल कुछ गाँवों तक सीमित थीं (जैसे काठियावाड़ की छोटी जागीरें)।

[Guha \(2007\)](#) के अनुसार, इन रियासतों ने भारत के कुल भू-भाग का लगभग 40% और जनसंख्या का 23% हिस्सा घेरा हुआ था। यदि इनका एकीकरण न होता, तो भारत के बीचों-बीच 'विदेशी द्वीप' मौजूद होते, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए निरंतर खतरा बने रहते।

'थर्ड फोर्स' (तीसरी शक्ति) की परिकल्पना और चुनौतियाँ

स्वतंत्रता के ठीक पहले, भोपाल के नवाब और त्रावणकोर के दीवान सर सी.पी. रामास्वामी अय्यर जैसे नेताओं ने रियासतों के एक स्वतंत्र 'तीसरे संघ' की वकालत शुरू कर दी थी। [Phadnis \(1968\)](#) के शोध के अनुसार, यह प्रयास भारत की अखंडता के लिए सबसे बड़ी चुनौती था। भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान ने तर्क दिया था कि "रियासतें किसी भी डोमिनियन का हिस्सा बनने के बजाय अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती हैं।" इस 'स्वतंत्रता की चाह' ने सरदार पटेल के कार्य को और अधिक जटिल बना दिया था, क्योंकि इसमें अंतरराष्ट्रीय शक्तियों के हस्तक्षेप की भी संभावना थी।

आंतरिक जन-आंदोलन और 'प्रजामंडल'

रियासतों की स्थिति केवल राजाओं के निर्णयों पर निर्भर नहीं थी। रियासतों के भीतर 'ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस' (AISPC) या 'प्रजामंडल' आंदोलनों के माध्यम से जनता भारत में विलय और लोकतांत्रिक शासन की मांग कर रही थी। [Sarkar \(1983\)](#) उल्लेख करते हैं कि जनता का यह दबाव सरदार पटेल के लिए एक बहुत बड़ा 'हथियार' बना, जिसका उपयोग उन्होंने राजाओं को यह समझाने के लिए किया कि यदि वे भारत में शामिल नहीं हुए, तो उन्हें अपने ही लोगों के विद्रोह का सामना करना पड़ेगा।

सरदार पटेल की कार्यप्रणाली और रणनीतियाँ: एक सूक्ष्म विश्लेषण 'राज्यों के विभाग' (STATES DEPARTMENT) का रणनीतिक गठन

5 जुलाई, 1947 को सरदार पटेल ने नवनिर्मित 'राज्यों के विभाग' का कार्यभार संभाला। उनकी पहली और सबसे महत्वपूर्ण रणनीति एक कुशल सहयोगी का चयन करना थी। उन्होंने वी.पी. मेनन को अपना सचिव नियुक्त किया, जो संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ थे। [Menon \(1956\)](#) अपनी पुस्तक में उल्लेख करते हैं कि पटेल का स्पष्ट निर्देश था: "हमें राजाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना है, लेकिन भारत की एकता पर कोई समझौता नहीं होगा।" पटेल ने नौकरशाही और राजनीति के बीच एक ऐसा सेतु बनाया जो निर्णय लेने में अत्यंत तीव्र था।

'इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन' और 'स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट': कानूनी बिसात

पटेल ने महसूस किया कि यदि वे पूर्ण विलय (Merger) की बात तुरंत करेंगे, तो राजा विद्रोह कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने दो चरणों वाली रणनीति अपनाई:

- 1) **इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन (Instrument of Accession):** इसके तहत राजाओं को केवल तीन विषय रक्षा, विदेशी मामले और संचार भारत सरकार को सौंपने थे। शेष आंतरिक मामलों में वे स्वतंत्र थे। यह एक 'अल्पकालिक रियायत' थी जिसने राजाओं के डर को कम किया।
- 2) **स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट (Standstill Agreement):** यह सुनिश्चित करने के लिए था कि प्रशासनिक व्यवस्था में कोई अचानक व्यवधान न आए।

[Gandhi \(1991\)](#) के अनुसार, पटेल की यह "चरणबद्ध रणनीति" (Phased Strategy) मास्टरस्ट्रोक थी, क्योंकि इसने राजाओं को मनोवैज्ञानिक रूप से भारत का हिस्सा बनने के लिए तैयार कर दिया।

'गाजर और छड़ी' (CARROT AND STICK) की नीति

पटेल की कार्यप्रणाली यथार्थवाद (Realism) पर आधारित थी। उन्होंने राजाओं के सामने दो स्पष्ट विकल्प रखे:

- **गाजर (प्रलोभन):** उन्होंने राजाओं को 'प्रिवी पर्स' (Privy Purse) का आश्वासन दिया, जो उनके निजी खर्चों के लिए भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली एक निश्चित राशि थी। इसके साथ ही उन्हें उनके शाही खिताब और सम्मान को बरकरार रखने का वचन दिया गया। [Singh \(2015\)](#) तर्क देते हैं कि प्रिवी पर्स कोई 'रिश्वत' नहीं थी, बल्कि एक विशाल राष्ट्र के निर्माण के लिए चुकाई गई एक 'बीमा किस्त' थी।

- **छड़ी (दबाव):** जो राजा अड़ियल रख अपना रहे थे, उन्हें पटेल ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि वे भारत में शामिल नहीं हुए, तो भारत सरकार उनके राज्यों में होने वाले जन-विद्रोहों को दबाने में उनकी कोई मदद नहीं करेगी। उन्होंने स्पष्ट कहा, "यदि आप हमारे साथ नहीं आते, तो मैं आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता" [Das \(1973\)](#)।

राष्ट्रवाद और व्यक्तिगत संवाद का जादू

पटेल केवल एक प्रशासक नहीं थे, वे एक महान वार्ताकार थे। उन्होंने राजाओं की 'देशभक्ति' और 'पूर्वजों के गौरव' को ललकारा। उन्होंने राजाओं से अपील की कि वे "एक महान भारत के निर्माण में सह-भागीदार बनें, न कि उसके मार्ग की बाधा।" [Hodson \(1969\)](#) के अनुसार, पटेल की आवाज़ में एक ऐसी 'नैतिक सत्ता' (Moral Authority) थी जिसे पटियाला के महाराजा और बीकानेर के महाराजा जैसे प्रभावशाली शासक भी अनदेखा नहीं कर सके।

जटिल मामलों में कठोर निर्णय: जूनागढ़ और हैदराबाद

जहाँ कूटनीति विफल हुई, वहाँ पटेल ने सैन्य शक्ति (Hard Power) के प्रयोग में संकोच नहीं किया:

- **जूनागढ़:** जब नवाब पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, पटेल ने राज्य के चारों ओर आर्थिक घेराबंदी की और अंततः जनमत संग्रह (Plebiscite) का मार्ग प्रशस्त किया, जिसमें 99% जनता ने भारत को चुना।
- **Operation Polo (1948):** हैदराबाद के निजाम की हठधर्मिता और 'रजाकारों' के अत्याचार को रोकने के लिए पटेल ने नेहरू की हिचकिचाहट के बावजूद 'पुलिस एक्शन' का आदेश दिया। [Raju \(2010\)](#) लिखते हैं कि पटेल जानते थे कि हैदराबाद भारत के पेट में एक 'कैंसर' बन सकता है, जिसे केवल 'सर्जरी' (सैन्य कार्यवाही) से ही ठीक किया जा सकता था।

छोटी रियासतों का संघीकरण (MEDIATIZATION AND UNIONS)

पटेल केवल विलय पर नहीं रुके; उन्होंने छोटी-छोटी रियासतों को मिलाकर व्यवहार्य प्रशासनिक इकाइयाँ बनाईं, जैसे 'सौराष्ट्र संघ', 'मत्स्य संघ' और 'राजस्थान संघ'। यह उनकी प्रशासनिक दूरदर्शिता का प्रमाण था कि उन्होंने हजारों टुकड़ों में बिखरे भारत को व्यवस्थित राज्यों में बदल दिया। [Sarkar \(1983\)](#) इसे "विश्व इतिहास की सबसे बड़ी और तीव्र रक्तहीन क्रांति" कहते हैं।

आलोचनात्मक मूल्यांकन

1) सामरिक सफलताएँ बनाम संवैधानिक और आर्थिक समझौता

सरदार पटेल के एकीकरण अभियान को अक्सर एक "रक्तहीन क्रांति" के रूप में सराहा जाता है, लेकिन एक शोधार्थी के रूप में हमें इसके उन पहलुओं पर भी दृष्टि डालनी होगी जो दीर्घकालिक बहस का विषय रहे हैं।

2) प्रिवी पर्स (Privy Purse): एक 'नैतिक ऋण' या 'आर्थिक बोझ'?

पटेल ने राजाओं को भारत में विलय के लिए मनाने हेतु 'प्रिवी पर्स' और विशेष विशेषाधिकारों (जैसे निजी संपत्ति रखने का अधिकार और कर छूट) का वादा किया।

- **सकारात्मक पक्ष:** [Menon \(1956\)](#) के अनुसार, यह "एक विशाल साम्राज्य की शांतिपूर्ण प्राप्ति के लिए चुकाई गई एक छोटी सी कीमत थी।" यदि राजा विद्रोह करते, तो गृहयुद्ध में होने वाला सैन्य खर्च प्रिवी पर्स की राशि से कहीं अधिक होता।
- **आलोचनात्मक पक्ष:** आधुनिक अर्थशास्त्रियों और वामपंथी विचारकों, जैसे [Chandra \(2000\)](#), का तर्क है कि एक लोकतांत्रिक और समाजवादी भारत में सामंती अवशेषों को सरकारी खजाने से पालना संवैधानिक समानता के सिद्धांत के विरुद्ध था। यह अंततः 1971 में 26वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया, जिससे यह सिद्ध होता है कि पटेल का यह निर्णय केवल एक 'तात्कालिक सामरिक समझौता' (Tactical Compromise) था।

3) जूनागढ़ और हैदराबाद: 'पुलिस एक्शन' की वैधता

हैदराबाद में 'ऑपरेशन पोलो' (1948) को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और भारत के भीतर भी आलोचना हुई थी।

- **सकारात्मक पक्ष:** पटेल का मानना था कि भारत के मध्य में एक शत्रुतापूर्ण 'स्वतंत्र राज्य' राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए 'कैंसर' के समान है। [Noorani \(2014\)](#) जैसे विश्लेषकों ने स्वीकार किया है कि निजाम के रजाकारों द्वारा की जा रही हिंसा को रोकने के लिए सैन्य हस्तक्षेप अनिवार्य हो गया था।
- **आलोचनात्मक पक्ष:** कुछ आलोचकों का मानना है कि सैन्य कार्यवाही ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की 'अहिंसक' छवि को प्रभावित किया। विशेष रूप से, नेहरू और पटेल के बीच इस मुद्दे पर मतभेद (नेहू कूटनीति के पक्षधर थे, पटेल त्वरित कार्यवाही के) आज भी राजनीतिक विमर्श का हिस्सा हैं।

4) रियासतों का एकीकरण बनाम लोकतांत्रिक एकीकरण

एक महत्वपूर्ण आलोचना यह भी की जाती है कि पटेल ने राजाओं के साथ जो 'विलय पत्र' (Instrument of Accession) हस्ताक्षरित किए, उनमें शुरुआत में केवल तीन विषयों (रक्षा, विदेश, संचार) पर नियंत्रण लिया गया था।

- **विश्लेषण:** Guha (2007) के अनुसार, इससे राज्यों के भीतर पूर्ण लोकतांत्रिक प्रशासन स्थापित करने में देरी हुई। कई राज्यों में प्रशासनिक एकीकरण और कानून व्यवस्था को भारतीय स्तर पर लाने में पटेल को 'राज्यों के संघ' (Unions of States) बनाने पड़े, जो एक जटिल प्रक्रिया थी। नीचे दिया गया चार्ट पटेल की एकीकरण नीति के सकारात्मक और आलोचनात्मक पक्षों को स्पष्ट करता है:

चार्ट: पटेल की रणनीति का 'लागत-लाभ विश्लेषण' (Cost-Benefit Analysis)		
घटक (Factor)	सकारात्मक परिणाम (Benefits)	आलोचनात्मक बिंदु (Criticism/Cost)
प्रिवी पर्स	गृहयुद्ध से बचाव और तीव्र विलय।	राजकोष पर बोझ और समानता के विरुद्ध।
सैन्य कार्यवाही	राष्ट्रीय अखंडता और सुरक्षा की बहाली।	'अहिंसक भारत' की वैश्विक छवि को ठेस।
विलय की गति	विश्व इतिहास की सबसे तेज रक्तहीन क्रांति।	प्रशासनिक और विधायी एकीकरण में जटिलताएं।
राजाओं की भूमिका	कई राजाओं को राजप्रमुख बनाकर उनकी निष्ठा जीती।	लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में शुरुआती बाधा।

5) नेहरू-पटेल द्वंद्व और कश्मीर का प्रश्न: एक विश्लेषण

भारतीय रियासतों के एकीकरण के इतिहास में सबसे चर्चित और विवादित विषय जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के दृष्टिकोणों का अंतर रहा है। जहाँ पटेल 'यथार्थवाद' (Realism) के पक्षधर थे, वहीं नेहरू 'आदर्शवाद' और 'अंतरराष्ट्रीय कूटनीति' (Idealism and Internationalism) को महत्व देते थे।

कश्मीर का मुद्दा: एक ऐतिहासिक भूल या मजबूरी?

कश्मीर का मुद्दा आज भी भारत के राजनीतिक विमर्श में पटेल की भूमिका को लेकर बहस का केंद्र है।

- **पटेल का दृष्टिकोण:** कई दस्तावेजों, जैसे Das (1973) द्वारा संपादित '*Patel's Correspondence*', से संकेत मिलता है कि पटेल शुरुआत में कश्मीर के बदले जूनागढ़ और हैदराबाद पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। उनका मानना था कि कश्मीर की भौगोलिक स्थिति और मुस्लिम बहुल जनसंख्या के कारण इसे संभालना चुनौतीपूर्ण होगा।
- **नेहरू का हस्तक्षेप:** नेहरू का कश्मीर से भावनात्मक जुड़ाव था। उन्होंने कश्मीर के मामले को सीधे अपने नियंत्रण में लिया और इसे संयुक्त राष्ट्र (UN) में ले गए। Gandhi (1991) तर्क देते हैं कि यदि पटेल को कश्मीर के मामले में पूर्ण स्वतंत्रता दी गई होती, तो शायद वे हैदराबाद की तरह 'सैन्य समाधान' के माध्यम से इसे पूर्णतः सुलझा लेते।
- **आलोचनात्मक विश्लेषण:** Noorani (2014) जैसे इतिहासकारों का मानना है कि पटेल ने अंततः नेहरू के फैसले का समर्थन किया, लेकिन अनुच्छेद 370 जैसे विशेष प्रावधानों पर उनके मन में गहरी शंकाएं थीं।

आंतरिक सुरक्षा बनाम अंतरराष्ट्रीय छवि

हैदराबाद और मणिपुर जैसी रियासतों के मामले में नेहरू और पटेल के बीच स्पष्ट मतभेद दिखाई देते हैं।

- **नेहरू का डर:** नेहरू को चिंता थी कि हैदराबाद पर सैन्य कार्यवाही से अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भारत की छवि 'आक्रामक देश' की बन जाएगी और इससे राष्ट्रमंडल (Commonwealth) संबंधों पर असर पड़ेगा।
- **पटेल की स्पष्टता:** पटेल का तर्क था कि एक संप्रभु राष्ट्र के भीतर 'कानून व्यवस्था' का प्रश्न आंतरिक मामला है, अंतरराष्ट्रीय नहीं। Raju (2010) के अनुसार, पटेल ने नेहरू की अनुपस्थिति (जब वे विदेश यात्रा पर थे) का लाभ उठाते हुए 'ऑपरेशन पोलो' की तैयारी को अंतिम रूप दिया था। यह पटेल की 'प्रशासनिक स्वायत्तता' और 'दृढ़ता' का परिचायक है।

रियासतों का 'लोकतांत्रिकीकरण' बनाम 'प्रशासनिक विलय'

पटेल की एक आलोचना यह भी की जाती है कि उन्होंने राजाओं को 'राजप्रमुख' (Constitutional Heads) बनाकर पुरानी सामंती व्यवस्था को कुछ समय के लिए जीवनदान दे दिया।

- **विश्लेषण:** Sarkar (1983) का तर्क है कि पटेल ने 'क्रांति' के बजाय 'सुधार' को चुना। उन्होंने रियासतों के प्रशासन को रातों-रात बदलने के बजाय धीरे-धीरे भारतीय सिविल सेवा (IAS/IPS) के ढांचे में ढाला। आलोचकों का मानना है कि इससे कई राज्यों में पुराने जमींदारी और सामंती प्रभाव लंबे समय तक बने रहे, जिससे सामाजिक न्याय की प्रक्रिया धीमी हुई।

तुलनात्मक चार्ट: नेहरू बनाम पटेल (एकीकरण के संदर्भ में)

बिंदु (Point)	जवाहरलाल नेहरू (आदर्शवादी दृष्टिकोण)	सरदार वल्लभभाई पटेल (यथार्थवादी दृष्टिकोण)
---------------	--------------------------------------	--

प्राथमिकता	अंतरराष्ट्रीय छवि और संवैधानिक प्रक्रिया।	राष्ट्रीय सुरक्षा और भौगोलिक अखंडता।
कश्मीर नीति	जनमत संग्रह और संयुक्त राष्ट्र (UN) पर भरोसा।	त्वरित सैन्य समाधान और पूर्ण विलय।
हैदराबाद	कूटनीति और धैर्यपूर्ण वार्ता।	'पुलिस एक्शन' और कठोर प्रशासनिक कार्यवाही।
राजाओं के प्रति दृष्टिकोण	सामंतवाद के प्रति सैद्धांतिक विरोध।	व्यावहारिक सहयोग और 'प्रिवी पर्स' के माध्यम से समझौता।

समकालीन भारत पर प्रभाव

सरदार पटेल द्वारा किया गया रियासतों का एकीकरण केवल एक प्रशासनिक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि इसने आधुनिक भारतीय राष्ट्र-राज्य की नींव रखी। इसके दूरगामी प्रभाव आज भी भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचे में देखे जा सकते हैं।

भौगोलिक अखंडता और सामरिक सुरक्षा

पटेल के एकीकरण का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव भारत के मानचित्र पर पड़ा।

- अखंड भारत का निर्माण:** यदि 562 रियासतें अलग रहतीं, तो भारत के भीतर अनगिनत 'विदेशी गलियारे' होते। Guha (2007) के अनुसार, पटेल ने भारत को 'बाल्कनीकरण' से बचाकर एक ऐसी भौगोलिक इकाई दी, जो उत्तर में हिमालय से दक्षिण में हिंद महासागर तक अटूट है।
- सामरिक महत्व:** राजस्थान की रियासतों और उत्तर-पूर्व के राज्यों के विलय ने भारत को अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं (विशेषकर पाकिस्तान और चीन के साथ) को सुरक्षित करने का आधार प्रदान किया।

प्रशासनिक और विधायी एकीकरण

पटेल ने केवल भूमि का विलय नहीं किया, बल्कि व्यवस्थाओं का भी एकीकरण किया।

- अखिल भारतीय सेवाएँ (AIS):** पटेल ने आई.ए.एस. (IAS) और आई.पी.एस. (IPS) जैसी सेवाओं को "भारत का लौह ढांचा" (Steel Frame of India) कहा था। Shankar (1974) के अनुसार, इन सेवाओं ने रियासतों के विविध और अक्सर पिछड़े प्रशासनिक ढांचों को एक आधुनिक, लोकतांत्रिक और केंद्रीकृत प्रणाली में बदलने का काम किया।
- कानूनी एकरूपता:** एकीकरण के कारण पूरे देश में एक समान दंड संहिता (IPC) और नागरिक प्रक्रिया लागू हो सकी, जिससे 'एक राष्ट्र, एक विधान' का सपना साकार हुआ।

आर्थिक एकीकरण और साझा बाजार

एकीकरण से पूर्व, कई रियासतों की अपनी मुद्राएं, सीमा शुल्क (Customs) और कर प्रणालियां थीं।

- साझा बाजार:** एकीकरण ने आंतरिक व्यापार बाधाओं को समाप्त कर दिया। Chandra (2000) तर्क देते हैं कि इससे भारत एक विशाल 'साझा बाजार' के रूप में उभरा, जिसने स्वतंत्रता के बाद औद्योगिक विकास और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया।
- बुनियादी ढांचा:** रेलवे, डाक और तार सेवाओं का राष्ट्रीयकरण संभव हो सका, जिससे देश के सुदूर हिस्सों को आर्थिक मुख्यधारा से जोड़ा गया।

लोकतंत्र का सुदृढ़ीकरण और सामंतवाद का अंत

रियासतों के विलय ने भारत के लोकतांत्रिक प्रयोग को सफल बनाया।

- मताधिकार का विस्तार:** करोड़ों लोगों को, जो पहले राजाओं के अधीन थे, पहली बार 1951-52 के आम चुनाव में मतदान का अधिकार मिला।
- सामाजिक परिवर्तन:** एकीकरण ने सदियों पुरानी सामंती व्यवस्था (Feudalism) की कमर तोड़ दी। यद्यपि प्रिवी पर्स कुछ समय तक जारी रहा, लेकिन सत्ता का केंद्र 'राजमहलों' से हटकर 'संसद' और 'विधानसभाओं' में स्थानांतरित हो गया। जैसा कि Sarkar (1983) ने उल्लेख किया है, यह "विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक क्रांति" का आधार बना।

राष्ट्रीय पहचान और एकता की भावना

पटेल के प्रयासों ने 'भारतीयता' की एक साझा पहचान विकसित करने में मदद की। विविध संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं वाली रियासतों को एक तिरंगे के नीचे लाना एक महान मनोवैज्ञानिक विजय थी। आज 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' (Statue of Unity) इसी एकता का वैश्विक प्रतीक है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध पत्र के विस्तृत विश्लेषण से यह अकाट्य रूप से सिद्ध होता है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय रियासतों का एकीकरण केवल एक प्रशासनिक सफलता नहीं, बल्कि आधुनिक भारतीय राष्ट्र-राज्य का 'पुनर्जन्म' था। सरदार वल्लभभाई पटेल ने जिस सूक्ष्म कूटनीति, रणनीतिक धैर्य और आवश्यकता पड़ने पर दृढ़ सैन्य शक्ति का परिचय दिया, उसने भारत को संभावित विखंडन और गृहयुद्ध की विभीषिका से बचा लिया।

अध्ययन के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि:

- 1) **यथार्थवादी दृष्टिकोण:** पटेल की 'गाजर और छड़ी' की नीति ने जटिल विधिक स्थिति (Paramountcy) का समाधान व्यावहारिक समझौतों (जैसे प्रिवी पर्स) के माध्यम से निकाला, जो उस समय की अनिवार्य आवश्यकता थी।
- 2) **ऐतिहासिक तुलना:** जहाँ नेहरू का दृष्टिकोण आदर्शवाद और वैश्विक छवि से प्रभावित था, वहीं पटेल ने 'राष्ट्रीय सुरक्षा' को सर्वोपरि रखा। कश्मीर का अपवाद आज भी उनके द्वारा हैदराबाद में अपनाई गई 'त्वरित कार्यवाही' की सार्थकता को रेखांकित करता है।
- 3) **दीर्घकालिक प्रभाव:** आज का संगठित भारत—जिसमें साझा बाजार, एक समान कानून और अखंड भौगोलिक सीमाएँ हैं—पटेल के उन्हीं तीन वर्षों के कठिन परिश्रम का परिणाम है।

यद्यपि कुछ आलोचक 'प्रिवी पर्स' या 'राजप्रमुखों' की नियुक्ति को सामंती अवशेषों को बढ़ावा देना मानते हैं, किंतु एक शोधार्थी के रूप में यह समझना आवश्यक है कि इन रियासतों ने बिना रक्तपात के एक विशाल लोकतंत्र की नींव रखने का अवसर प्रदान किया। अंततः, सरदार वल्लभभाई पटेल की भूमिका केवल एक प्रशासक की नहीं, बल्कि 'भारत के महाशिल्पी' की थी, जिन्होंने बिखरे हुए सैकड़ों मोतियों को 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की माला में पिरोया। उनके बिना आधुनिक भारत के मानचित्र की कल्पना करना असंभव है।

यह शोध पत्र यह प्रतिपादित करता है कि पटेल की एकीकरण नीति ने न केवल भारत को भौगोलिक एकता दी, बल्कि उसे एक 'संवैधानिक और प्रशासनिक स्टील फ्रेम' प्रदान किया, जिसने पिछले सात दशकों में भारत के लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखा है।

REFERENCES

- Bhargava, M. L. (1981). *Architects of Indian Freedom Struggle (310–330)*. New Delhi, India: Deep and Deep Publications.
- Chandra, B. (2000). *India Since Independence (80–95)*. New Delhi, India: Penguin Books.
- Copland, I. (1997). *The Princes of India in the Endgame of Empire, 1917–1947 (240–275)*. Cambridge, UK: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511583292>
- Das, D. (Ed.). (1973). *Sardar Patel's Correspondence, 1945–50 (Vol. 7, 210–245)*. Ahmedabad, India: Navajivan Publishing House.
- Gandhi, R. (1991). *Patel: A Life (402–435)*. Ahmedabad, India: Navajivan Publishing House.
- Government of India. (1950). *White Paper on Indian states (15–45)*. New Delhi, India: Ministry of States, Government of India Press.
- Guha, R. (2007). *India After Gandhi: The History of the World's Largest Democracy (35–58)*. London, UK: Macmillan.
- Hodson, H. V. (1969). *The Great Divide: Britain–India–Pakistan (360–385)*. London, UK: Hutchinson.
- Lee-Warner, W. (1910). *The Native States of India (12–40)*. London, UK: Macmillan.
- Mansingh, S. (1984). *Sardar Patel and the Indian States*. *The Journal of Asian Studies*, 43(3), 45–62.
- Menon, V. P. (1956). *The Story of the Integration of the Indian States (90–120)*. New York, NY: Macmillan.
- Noorani, A. G. (2014). *The Destruction of Hyderabad (180–210)*. New Delhi, India: Tulika Books.
- Phadnis, U. (1968). *Towards the Integration of Indian States, 1919–1947 (150–175)*. Bombay, India: Asia Publishing House.
- Raju, P. (2010). *Operation Polo: The Liberation of Hyderabad*. *Strategic Analysis*, 34(2), 205–215. <https://doi.org/10.1080/09700160903542544>
- Sarkar, S. (1983). *Modern India, 1885–1947 (440–455)*. Delhi, India: Macmillan.
- Shankar, V. (1974). *My Reminiscences of Sardar Patel (Vol. 1, 112–140)*. Delhi, India: Macmillan.
- Singh, B. P. (2015). *The Challenge of Organizational Change: Integrating Princely States*. *Indian Journal of Public Administration*, 61(1), 12–28.
- UK Parliament. (1947). *Indian Independence Act, 1947*. 10 and 11 Geo. 6. c. 30. London, UK: HMSO.